


21.4.26

वृत्तगत उप. 1 प्राची की
द्वारा आयुक्त विस्तृत विवेचन
के साथ खारिज की जा
चुकी है, के अनुसार प्रत्येक
प्रा. पत्र भी खारिज किया
जाता है पत्रावली के
सुमार ही नंबर से अत्र
होकर आवरण पत्रावली है

 ~~अपर कलेक्टर, पंजाब~~